न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10/2015

रूकमणी देवी पत्नी कृष्णलाल –मृतक

1/1 सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रूकमणी पत्नी कृष्णलाल जाति ब्राह्मण निवासी भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— **अपीलार्थी**

बनाम

1. नरेन्द्र घिन्टाला पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। ——**रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ

दिनांक 24.12.2014

उपस्थितिः–

श्री मूलचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानदत शर्मा, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक , राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 09.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पों. ने एक प्रा.पत्र अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ के समक्ष राज.उपनि.अधि. की धारा 11/14 व राज. काश्त.अधि. की धारा 177 के तहत पेश कर निवेदन किया कि कृष्ण पुत्र देवाराम को रोही भैरूपुरा के ख.नं. 275 में 25 बीघा भूमि दिनांक 21.07.1975 को टी.सी. पर आवंटित हुई थी जिस पर कृष्ण के हस्ताक्षर हैं जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा। सम्वत 2039 के नवीनीकरण के प्रा.पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई कि उक्त भूमि पर सम्वत् 2040–2042 तक काश्त नहीं की है। मिलीभगत करके इस भूमि का नवीनीकरण रूकमणी द्वारा करवा लिया गया

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है। ऐसी स्थिति में वह पुख्ता आवंटन करवाने की अधिकारी नहीं थी। रूकमणी देवी द्वारा दिनांक 08.01.1990 को पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश किया जिसमें अपने पति को 8–10 वर्ष से लापता बताया। किन्तु जिन्दा है या मर गया है इसका कोई सबूत पेश नही किया गया है। किन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन कर दिया गया। पुख्ता आवंटन के वक्त चक 13 एस.एल.डी. के प.नं. 72/379 के कि.नं. 17 से 23 व प.नं. 71/380 के कि.नं. 1 से 3, 9, 10 , प.नं. 72/380 कि. नं. 1 से 16 फिट हुए हैं जो वर्तमान में रूकमणी के नाम से 23.16 बीघा कमाण्ड व 1.00 बीघा अनकमाण्ड तथा 4 बिस्वा खाला में अंकित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में पहले से ही 50–60 मकान बने हुए थे, मौका पर कभी भी रूकमणी का कब्जा काश्त नहीं रहा। रूकमणी द्वारा गलत तथ्य पेश कर नवीनीकरण करवाया था तथा पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र भी कृष्णलाल द्वारा पेश नहीं किया गया था। अतः निवेदन है कि आवंटन खारिज किया जावे।

अप्रार्थी रूकमणी द्वारा जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

सुनवाई करने के पश्चात अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने दिनांक 24.12.2014 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए रकबा राज करने की कार्यवाही करने व भूमि बहक सरकार लेने के तहसीलदार को आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभप पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया था। आवंटन सलाहकार समिति की राय से हुआ था। शिकायतकर्ता ने रंजिशवश प्रा.पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर 50–60 मकान बने हुए थे। अपीलांट का पति कृष्णलाल लापता बताया है। तथ्य छुपाकर अपीलांट ने आवंटन करवाया था जिसकी शिकायत होने पर अधी.

9/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 24.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट रूकमणी देवी के पति कृष्णलाल की अस्थायी काश्त की भूमि स्थायी आवंटन के रूप में उसकी पत्नी रूकमणी को आवंटित हुई जो टी.सी.आवंटन एवं उसका नवीनीकरण मूल आवंटी कृष्णलाल के बजाए उसके proxy द्वारा wrong personification के आधार पर आवेदन पेश किये जाने से मूल आवंटी की अनुपस्थिति में नवीनीकरण हुए है जो राज.उपनि.अधि. 1954 की धार 11 की परीधि में false information के आधार पर फर्जकारी कर आवंटन करवाया गया था जिसकी शिकायत होने पर अधी. न्यायालय द्वारा शिकायत प्रमाणित मानकर आवंटन निरस्त किया गया जिसे अपीलांट द्वारा अपील में इस आधार पर अनुतोष चाहा है कि अपीलांट द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया है। अतः अपीलांट का आवंटन बहाल एवं अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज करने की प्रार्थन की।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। "आलोटी रूकमणी देवी पत्नी कृष्णलाल ने शपथ पत्र पुख्ता आवंटन के प्रा.पत्र के साथ प्रस्तुत दिनांक 08.01.1980 को प्रस्तुत किया उसमें अपने पति को लापता बताया है जबकि पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र कृष्णचन्द द्वारा 07.12.1988 को दिया व दिनांक 08.01.1980 को रूकमणी देवी 8–10 वर्ष से अपने पति को लापता बता रही है। स्पष्ट है कि उक्त पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र कृष्णलाल द्वारा कतई पेश नहीं किया गया है जिस पर पुख्ता आवंटन जो किया गया है" तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली पर तथ्य उल्लेखित है कि कृष्ण पुत्र देवाराम ब्राह्मण ने भैरूपुरा उर्फ सिलवानी के ख.नं. 275 में 25 बीघा भूमि के लिये सम्वत् 2032 दिनांक 05.07.1975 को प्रा.पत्र पेश किया जिसमें अपनी उम्र 28 वर्ष लिखवायी थी। उक्त प्रा.पत्र उसके मूल हस्ताक्षर किरसन है। सम्वत 2033 को नवीनीकरण हुआ जिस

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पर पटवारी ने अंकन किया कि उक्त भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई। नवीनीकरण करने हेतु प्रा.पत्र के संलग्न शपथ पत्र पर अंकित दस्तखत दिनांक 05.07.1975 के दस्तखत से अलग है। ये हस्ताक्षर किसी और व्यक्ति ने किये हैं। सम्वत 2036 के नवीनीरकण हेतु भाई अनन्तराम ने दिनांक 04.10.1980 को दरख्वास्त दी है जिसमें उम्र 25 वर्ष बताई है। इसमें अलोटी के दो साल से लापता सम्बन्धी नोट लगा हुआ है। सम्वत 2038 के नवीनीकरण का नवीनीकरण मार्फत अनन्तराम दिनांक 06.07.82 को प्रा.पत्र पेश किया जिसमें उम्र 29 वर्ष लिखी है इसमें रिपोर्ट पटवारी लिये बिना ही नवीनीकरण कर दिया। सम्वत 2039 में भी 29 वर्ष उम्र लिखी है। रिपोर्ट पटवारी में आवंटी का कब्जा नहीं बताया है। सम्वत 2042, 2043 के नवीनीकरण हेतु भाई अनन्तराम ने प्रा.पत्र पेश किया। दिनांक 07.12.88 को पुख्ता आवंटन हेतु प्रा.पत्र कृष्णचन्द्र ने पेश किया जिसमें आयु 30 वर्ष अंकित है जबकि 1975 के आवंटन प्रा.पत्र में 25 वर्ष आयु अंकित है। इस शपथ पत्र में पहचानकर्ता सुरेन्द्रसिंह के आधार पर शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया है। फोटो फार्म फोटो रूकमणी देवी की है तथा पूरा फार्म किशन सिंह के नाम जारी है। रूकमणी देवी का नाम बाद में जोडा गया है। यह फोटो फार्म पटवारी द्वारा भरा गया है।''

उभयपक्ष की लिखित बहस का अवलोकन किया जिसमें अपीलांट ने अपील मीमों को दौहराया तथा रेस्पोंडेन्ट शिकायत के तथ्यों को दौहराया तथा अपने कथन के समर्थन में न्याय सिद्धांत आर.आर.डी. 1992 पेज 431 अपील नं. 82/गंगानगर/91/राजस्थान सरकार बनाम गुलावचन्द निर्णय दिनांक 02.04. 1992 पेश किया जिसमें held किया है कि

A. Rajasthan Colonisation Act, Section 11- Securing renewal of lease for temporary cultivation by the son in the name of deceased father amounts to misrepresentation and fraus.(para 6)

B. Rajasthan Colonisation (Temporary Cultivation Leases) Conditions, 1955, Condition 18-- A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease

9/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

period- An heir to a deceased allottee cannot claim renewal thereof as a matter of right- He should apply for a fresh allotment for himself ofn merits (para 6)"

रेस्पों. अभिभाषक द्वारा यह न्याय सिद्धांत प्रकरण हाजा पर शतप्रतिशत चस्पा योग्य बताया।

पत्रावली के अध्ययन, रिकार्ड के अवलोकन, प्रस्तुत न्याय सिद्धांतों के अध्ययन के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि मूल आवंटी टी.सी. आवंटन व नवीनीकरण के आवेदन मूल आवंटी किशनलाल ने पेश नहीं किये हैं, के अतिरिक्त किशनलाल की टी.सी. का पी.सी. रूकमणी को भी नहीं किया जा सकता। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2014 में हस्तक्षेप की गुंजाईस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर